15/6/17 आज यह पत्रा. न्यायालय में पेश हुई प्रार्थी व वकील उप. / सुनवाई अपराधों की आरोप तय करने पश्चात नहीं। न्याय की दृष्टि से अवसर उप. नहीं। रिमांड पत्रा. के अवलोकन से प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं अतः धारा दिनांक 01-07-2016 को तारीख पश्चात कार्यवाही किया जाना है पत्रावली नियमानुसार बाद तकमील शेष विधि दस्तावेज की बाबत निर्णय न्यायालय में लिया जाना सुनाया गया।

Scanned by CamScanner